


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म० प्र०)
प्रक० क० 15441-II/16



रामनेवाज विश्वकर्मा पिता स्व० श्री नर्वदा प्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम
मझगवां तहसील रामनगर जिला सतना म०प्र० निगराकार

बनाम

रामाश्रय विश्वकर्मा पिता स्व० रामबली विश्वकर्मा निवासी ग्राम मझगवां
तहसील रामनगर जिला सतना म०प्र० गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान्
कलेक्टर सतना प्रक० क०
65/अपील/15-16 आदेश दिनांक
29.8.2010

निगरानी अन्तर्गत धारा 7 वास
दखलाकार अधि० 1980


अधिवक्ता श्रीराकेश शर्मा
काय ७ त्तु 29-9-16

मान्यवर, राजस्व मण्डल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगराकार निम्न निगरानी प्रस्तुत करता है:-

तथ्य:- यह कि निगराकार ने एस० डि० ओ० अमरपाटन के आदेश प्रक० क० 169अ74-14-15 पारित आदेश दिनांक 07.07.15 के विरुद्ध अपील श्रीमान् कलेक्टर सतना के समक्ष प्र० क० 65 अपील/15-16 प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 29.8.16 द्वारा निरस्त कर दी गई उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। क्योंकि आदेश मे विधिक तथ्यात्मक विन्दुओं पर ध्यान न देकर आदेश पारित किया गया है जो निरस्तगी के योग्य है।

निगरानी के आधार




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5441-II/16

जिला-सतना

रामनेवाज विश्वकर्मा/रामाश्रय विश्वकर्मा

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	